उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-1013/2024/31193/41-1-2024-001-सीएन-1803035-2024
लखनऊ:: दिनांक 27 दिसम्बर, 2024

शुद्धि-पत्र

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की पी0आई0डी0डी0सी0 योजना के अन्तर्गत सलखन फॉसिल पार्क एवं लेखनिया पेन्टिंग सोनभद्र का ईको पर्यटन विकास एवं लम्भुआ रेंज के अन्तर्गत शाहपुर वन क्षेत्र में ईको विकास परियोजना के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-993/2024/3072/41-1-2924-001-सीएन-1803035-2024 दिनांक 18.12.2024 की प्रतिलिपि के क्रमांक-4 पर अंकित ''मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ'' के स्थान पर '' मुख्य कोषाधिकारी, कालेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ एद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 18०12.2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, सल्तानपुर/सोनभद्र।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुल्तानपुर।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
8. वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
10. उप निदेशक, पर्यटन मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-6,7,8,9 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मीरजापुर।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।